(क) क्या यह सच है कि देश के अनेक भागों से राज्य के गठन की मांग की जाती रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चार पूर्वी नागालैड जिलों ने राज्य के गठन की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अनेक राज्यों के विभाजन के प्रस्ताव का परित्याग कर दिया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(क) : नए राज्यों के सृजन हेतु विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों से समय-समय पर मांग एवं अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।**

**(ख) एवं (ग) : ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स आर्गनाइजेशन (ई एन पी ओ) पूर्वी नागालैंड के 5 जिलों के आर्थिक पिछडा़पन का मुद्दा उठाता रहा है तथा पूर्वी नागालैड के लिए एक अलग राज्य की मांग करता रहा है। तथापि, ई एन पी ओ को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।**

**(घ) एवं (ड.) : किसी भी नए राज्य के सृजन के व्यापक परिणाम होते है तथा इसका हमारे देश के संघीय ढांचे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार इस मामले पर तभी कार्रवाई करती है, जब मूल राज्य में व्यापक सहमति हो। सरकार सभी संगत कारकों पर विचार करने के पश्चात ही नए राज्यों के गठन के मामले में निर्णय लेती है। इस समय कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।**